न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 56 / 2015

प्रथम पक्ष–श्रीकांत तिवारी पिता–राम दयाल तिवारी, ग्राम+पोस्ट–खिरिआँव, थाना–कच्छवां, जिला–रोहतास 1129

बनाम

द्वितीय पक्ष– रंगबहादुर सिंह पिता–राजकुमार, ग्राम+पोस्ट–खिरिआँव, थाना–कच्छवां, जिला–रोहतास।

आदेश

31.10.2017

यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक–731 / रा0, दिनांक 04.12.2015 से प्राप्त अंचल अधिकारी नासरीगंज के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01 / 15–16 में की गई अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ किया गया। जिसमें विवादित भूखंड का विवरण इस प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	विवादित जमाबंदी सं0
खिरिआंव	55	570	920	0.73	1383 / VI

अंचल अधिकारी नासरीगंज के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–01 / 15–16 से प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूखंड का पंजी –II में दो व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी कायम है जो क्रमशः जमाबंदी सं0–472 / VIII मु0 सुन्दरवासो कुवंर पति नारायण पाण्डेय सा0 निजग्राम तथा जमाबंदी सं0–1383 / VI रंगबहादुर सिंह के रामशरण सिंह वो रामनरेश सिंह पिता–राजकुमार कुमार सा0–खिरिआंव के नाम से है। विवादित भूखंड का हाल सर्वे खतियान में कुल रकबा–73 डी0 दर्ज है जो प्रथम पक्ष के दखल कब्जा में है। परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी बिक्रमगंज न्यायालय के वाद सं0–784 / 2014 द0प्र0सं0 की धारा–144 के आलोक में विपक्षियों के नाम से जमाबंदी सं0–1383 / VI कायम किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतएव विवादित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विधिसम्मत सुनवाई हेतु उभय पक्षों को सुनवाई हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा–9 के तहत् सूचना निर्गत की गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के वंशज अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूखंड का जमाबंदी सं0–472 / VIII मु0 सुन्दरवासो कुवर पति स्व0 नारायण पाण्डेय एवं जमाबंदी सं0–1383 / VI रंगबहादुर सिंह एवं उनके भाईयों के नाम पंजी II में चल रहा है तथा दोनों जमाबंदीदारों को अंचल अधिकारी द्वारा लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है जो नियमानुकूल नहीं है।

जमाबंदीदार मु0 सुन्दरवासों कुवंर के ससुर स्व0 रामवृक्ष पाण्डेय विवादित भूखंड को दिनांक 2[illegible].02.19[illegible]4 में निबंधित वसिका बयनामा से खरीद हकीयत वो दखल में रहे जिसका पुराना खाता सं0–19[illegible] खेसरा सं0–646 था। जिनके मरणोपरांत इनके नाम पर जमाबंदी सं0–472 / VIII कायम हुआ, जो आवेदक की खास बुआ (फूआ) थी, जिन्होंने निबंधित वसियतनामा दिनांक 16.09.94 से प्रथम पक्ष को लिख दी है तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दी। फूआ की मृत्यु दिनांक 24.08.2014 को होने के पश्चात् प्रथम पक्ष विवादित भूखंड का [illegible] कर गये एवं भौतिक दखल कब्जे में चले आ रहे है। अतएव विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0–1383/VI को

...किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित हो जाने के पश्चात् भी अपना कारणपृच्छा प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवेचना :– अंचल अधिकारी नासरीगंज एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज की अनुशंसा के आलोक में राजस्व अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं राजस्व अभिलेखों के विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूखंड के संबंध में कायम जमाबंदी सं0–472 / VIII हाल सर्वे खतियान पुराना खाता सं0–198, खेसरा सं0–946 से नया खाता नं0–570 खेसरा नं0–920 बना है जिसका लगान रसीद वर्ष 1968–69 से 2015–16 तक प्रथम पक्ष के पूर्वजों के नाम से निर्गत है तथा पंजी–II में विवादित भूखंड को किसी अन्य नाम से हस्तांतरित करने का कोई साक्ष्य अंकित नहीं पाया गया। अंचल अधिकारी नासरीगंज के प्रतिवेदनानुसार द्वितीय पक्ष के संबंध में कायम जमाबंदी संख्या–1382 / VI का अनुमंडल दण्डाधिकारी बिक्रमगंज न्यायालय के वाद सं0–784 / 14, भा0द0वि0–144 के आलोक में कायम किया गया है जो सक्षम प्राधिकार नहीं है तथा विपक्षीगण को इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी अपना कारणपृच्छा प्रस्तुत नहीं करना यह प्रमाणित करता है कि इस संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विरूद्ध उनके पास कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अतएव प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व अभिलेखों / अंचल अधिकारी नासरीगंज एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिक्रमगंज की अनुशंसा के आलोक में विपक्षीगण रंगबहादुर सिंह वो रामशरण सिंह वो रामनरेश सिंह पिता–राजकुमार ग्राम व पोस्ट–खिरिआंव थाना–कच्छवा जिला–रोहतास के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0–1383 / VI को वैधानिक रूप से दर्ज नहीं होने के कारण एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। आदेश उभय पक्षों को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 21/10/17
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

(हस्ताक्षर) 21/10/17
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

(हाशिये पर) 21/11/17

पत्रांक – 432 / रा0, दिनांक – 17/03/18

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी, नासरीगंज / भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिक्रमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 (NIC) को सूचनार्थ जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/3
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।